

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
आदेश

सं.सं.-04 / व02-47 / 2025 / 2007

राँची, दिनांक : 17/10/25

राज्य शिक्षा सेवा (वर्ग-2) के 6ठी बैच के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, राँची से स्वच्छता प्रमाण पत्र अधियाचना करने संबंधी विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर सभी अपेक्षित प्रविष्टि कर उसकी हार्डकॉपी एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


17.10.25

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 2007

राँची, दिनांक- 17/10/25

प्रतिलिपि-सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, रांची से स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु अध्याचना-पत्र का प्रपत्र-क'

1. अध्याचना पत्र भेजने वाले विभाग का नाम :-
2. पद का नाम (जिसपर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है) :-
3. सेवा/संवर्ग का नाम :-
4. पदाधिकारी का व्यक्तिगत विवरणी :-
 - (क) पूरा नाम (प्रथमाक्षर नहीं) :-
 - (ख) पिता का नाम :-
 - (ग) जन्म तिथि :-
 - (घ) GPF No.- :-
 - (ङ.) नियुक्ति के उपरान्त यदि नाम परिवर्तन किया गया है तो पूर्व का नाम एवं परिवर्तन तिथि :-
 - (च) वर्तमान पदनाम एवं पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार एवं प्रतिनियुक्ति सहित) :-
5. झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि :-
6. पदस्थापन विवरणी (नियुक्ति से अबतक का सेवा इतिहास अंकित किया जाय) सेवा संवर्ग का नाम :-

क्र०	मूल पदस्थापन			मूल पदस्थापन के साथ अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति		
	पद का नाम	स्थान	पदस्थापन अवधि	पद का नाम	स्थान	अवधि

7. वर्तमान सेवा के पूर्व यदि राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में रहे हों तो उसका व्योरा :-
8. मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत अंतिम स्वच्छता प्रमाण पत्र का पत्रांक एवं दिनांक :-

स्थान :

दिनांक :

(अध्याची पदाधिकारी का पूरा नाम/पदनाम एवं मुहर सहित जो उप सचिव स्तर से निम्न कोटि का नहीं होगा)